<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/1295/2004/चित्तौडगढ</u>

1.हीरा पिता चुन्नी लाल जाति बलाई निवासी साण्डीखेडा
2. भागीरथ पिता चुन्नी लाल जाति बलाई निवासी
साण्डीखेडा तहसील छोटी सादडी जिला चित्तौडगढ

अपीलार्थी

बनाम

केशूराम पिता प्रेमा जी फौत जरिये कायम मुकामान–
1.रूप सिंह 2.नाहर सिंह 3. चम्पा लाल 4.कैलाश
पुत्रगण स्व. श्री केशूराम
5. सोहन बाई पुत्री स्व. केशुराम निवासीगण
साण्डीखेडा तहसील छोटी सादडी जिला चित्तौडगढ

रेस्पोडेन्ट्स

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री सूरजभान जैमन, सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

<u>उपस्थित</u>
श्री मुकेश जैन अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अयूब खां अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

<u>निर्णय</u>

दिनांकः26.3.2019

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–1–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी केशूराम ने एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत अपीलार्थी प्रतिवादीगण के विरूद्ध

वाद पत्र में अंकित आराजी खसरा नम्बर 449 रकबा 0–84हेक्टर के बाबत सहायक कलेक्टर छोटी सादडी जिला चित्तौडगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। अपीलार्थी प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। विचारण न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये अपने निर्णय दिनांक 26–7–03 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को अनिर्णित छोड दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–1–04 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4,9सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पर सुनी गई। तदुपरान्त उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सहमति से प्रत्यर्थी संख्या 1 केशूराम के कायम मुकामान को रेकार्ड पर लेने के आदेश दिये जाते हैं।

4. तदुपरान्त उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील के गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की प्लीडिंग के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना और बिना साक्ष्य का विवेचन किये निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का देरीना कब्जा काश्त चला आ रहा था जिस कारण अपीलार्थी खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य था जिसकी घोषणात्मक डिक्री

अपीलार्थी के पक्ष में और प्रत्यर्थी के विरूद्ध दी जानी थी और अपीलार्थी का काउण्टर क्लेम डिक्री किया जाना था जिस पर किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया है। इसलिये अपील स्वीकार कर दोनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त करते हुये अपीलार्थी का काउण्टर क्लेम डिक्री किया जावे।

6. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद अधिनियम की धारा 188 के तहत पेश किया गया है। अपीलार्थी प्रतिवादी पडौसी होकर अनाधिकृत हस्तक्षेप करते हैं। अपीलार्थी द्वारा एडवर्स पजेश को सिद्ध नहीं कराया है। पत्थरगढी में पुराना कब्जा लिख देने से कब्जा पुराना नहीं माना जा सकता। अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय की सही रूप से पुष्टि की है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज की जावे।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी केशूराम ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध अधिनियम की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया है। अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया है। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की प्लीडिंग के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही वादी के वाद को डिक्री कर दिया और अपीलार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम के बाबत कोई विवेचन किये बिना उसे अनिर्णित ही छोड दिया। विधि अनुसार विचारण न्यायालय को दावा जबाब दावा व

काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम करनी चाहिये थी और पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद एवं प्रस्तुत काउण्टर क्लेम के बाबत तनकीवार न्यायिक निर्णय पारित करना चाहिये था। विधि अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्यायिक निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना तथ्यों पर गौर किये विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

9. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह दावा,जबाब दावा व काउण्टर क्लेम के अनुसार तनकीयात कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध कर वाद एवं काउण्टर क्लेम के बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित करें। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण वर्ष 1994 में दर्ज हुआ है जो काफी पुराना हो चुका है। इसलिये विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का अधिकमत छ माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29–4–2019 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(सूरजभान जैमन)
सदस्य